

अनुलग्नक/Annexure- C

आश्रित परिवार के सदस्यों का विवरण, जिनका नाम सीसीएस पेंशन नियम (81) के नियम 54 (12) के तहत नोट किया गया है, अर्थात् फॉर्म 1 में नहीं दिखाया गया है, सीसीएस (एलटीसी) नियम'88 के नियम 4 (डी) के अनुसार परिवार के सदस्य के रूप में आता है।

Details of dependent family members whose name are noted on under rule 54(12) of CCS (pension) Rule(81) i.e. not shown in form -1 comes as family member in term of rule 4(d) of CCS (LTC) Rules'88

सरकारी अधिकारी/कर्मचारी का नाम:-

Name of the government official

पदनाम और खाता संख्या:-

Designation and A/c number

नियुक्ति की तिथि :-

Date of appointment

मेरे परिवार के सदस्यों का विवरण/Details of the members of my family as on:-

क्र.सं. Sl. no.	परिवार के सदस्यों का नाम Name of the members of family	जन्म तिथि Date of birth	अधिकारी/ कर्मचारी के साथ संबंध Relationship with the officer	कार्यालय प्रमुख की प्रारंभिक टिप्पणी Initial remarks of the Head of office	व्यवसाय Occupation
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

मैं एतद्वारा उपरोक्त विवरणों को लेखापरीक्षा अधिकारी/कार्यालय के प्रमुख को सूचित करके अद्यतित रखने का वचन देता हूँ।/ I hereby Undertake to keep the above particulars up to date by notifying to the Audit officer/Head of the office may

edition or alteration.

मैं एतद्वारा यह भी वचन देता हूँ कि परिवार के सदस्य जिनके नाम उल्लिखित हैं, वे पूरी तरह से मुझ पर निर्भर हैं और सभी स्रोतों से प्रत्येक सदस्य की आय 3,500/- रुपये प्रति माह है।/ I also hereby Undertake that the family members

whose names are mentioned above are wholly dependent upon me and income of each member from all sources Rs. 3 500/- per month.

स्थान/Place:-

दिनांक/Date:-

सरकारी अधिकारी के हस्ताक्षर/Signature of the Govt. official

नोट: - एलटीसी के उद्देश्य के लिए परिवार का तात्पर्य (फॉर्म 3 में दिखाए गए परिवार के सदस्यों के नाम को छोड़कर)

Note:- Family for the purpose of LTC means (Excluding the name of family members shown in Form-3)

(i) अविवाहित बच्चे या 25 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सौतेले बच्चे और पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी पर

निर्भर/Unmarried children or step children of age 25 years and above and Wholly dependent on the Govt. servant

(ii) विवाहित पुत्रियाँ जिनका तलाक हो चुका है या अपने पति से अलग हो चुकी हैं और सरकारी कर्मचारी के साथ रह रही हैं और पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी पर निर्भर हैं/Married daughters who have been divorced abundant or separated

from their husbands and are residing with the Govt. servant and are wholly dependent on the Govt. servant

(iii) माता-पिता और/या सौतेली माँ जो सरकारी कर्मचारी के साथ रहती हैं और पूरी तरह से निर्भर हैं/Parents and/or stepmother residing with and wholly dependent on the Govt.servant

(iv) अविवाहित नाबालिग भाइयों के साथ-साथ अविवाहित, तलाकशुदा, अपने पति से पूरी तरह से अलग या विधवा बहन जो सरकारी कर्मचारी के साथ रहती हैं और पूरी तरह से निर्भर हैं, बशर्ते उनके माता-पिता जीवित न हों या वे स्वयं पूरी

तरह से सरकारी कर्मचारी पर निर्भर हों/Unmarried minor brothers as well as unmarried, divorced, abundant separated from their husbands or widowed sister residing with and wholly dependent on the Govt. servant, provided their parents and either not alive or one themselves wholly dependent on the Govt. servant